श्री राघवेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 18.04.2019 को डुमराँव प्रखण्ड मुख्यालय में डुमराँव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी के साथ निर्वाचन से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – पंजी के अनुसार ।

डुमराँव प्रखण्ड मुख्यालय में डुमरॉव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, सेक्टर पदाधिकारी, फ्लाईंग स्कावयड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम के साथ आगामी लोक सभा चुनाव 2019 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक किया गया और इस क्रम में निम्न निदेश दिये गये –

सेक्टर पदाधिकारियों से भेद्य एवं संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों के सबंध में समीक्षा करने पर स्थिति निम्नवत पाया गया –

क्र0	सेक्टर की संख्या/ प्रखण्ड		भेद्य मतदान केन्द्र की संख्या	संवेदनशील मतदान केन्द्र की संख्या
1	1	डुमराँव	3	3
2	2	डुमराँव	3	4
3	3	डुमराँव	3	3
4	4	डुमराँव	5	5
5	5	डुमराँव	3	5
6	6	डुमराँव	4	5
7	7	डुमराँव	2	2
8	8	डुमराँव	5	5
9	9	नगर परिषद्, डुमराँव	1	1
10	10	नगर परिषद्, डुमराँव	2	2
11	11	नगर परिषद्, डुमराँव	0	0
12	12	नगर परिषद्, डुमराँव	0	0
13	13	चौगाई	6	6
14	14	चौगाई	7	7
15	15	चौगाई	6	6
16	16	चौगाई	7	7
17	17	केसठ	4	4
18	18	केसठ	6	6
19	19	केसठ	4	4
20	20	नावानगर	4	5
21	21	नावानगर	3	6
22	22	नावानगर	5	7
23	23	नावानगर	3	4
24	24	नावानगर	5	5
25	25	नावानगर	4	5
26	26	नावानगर	3	6
27	27	नावानगर	3	7

28	28	नावानगर	4	4
29	29	नावानगर	3	5
30	30	नावानगर	5	7
31	31	नावानगर	5	6
32	32	नावानगर	5	9
		कुल योग	123	151

सभी सेक्टर पदाधिकारी भेद्य/अभेद्य मतदान केन्द्रों के पास रहने वाले **8-10** व्यक्तियों का नाम एवं मोबाईल नं0 रखेंगे ताकि मतदान के दिन गतिविधियों की जानकारी इनसे प्राप्त कर सकें।

1. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों पर भयादोहन करने वालों की कम संख्या प्रतिवेदित किया गया है। निदेशित किया गया कि भयादोहन अथवा अन्य गलत तरीको से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले असमाजिक तत्वों को अधिकाधिक संख्या में चिन्हित कर मतदान केन्द्रवार सूची तैयार कर प्रतिवेदित करेंगे ताकि ऐसे व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके।

2. सभी सेक्टर पदाधिकारियों को संवेदनशील बूथों की सूची निरीक्षण कर कारण सहित प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया ।

3. सभी सेक्टर पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र पर जाने हेतु रूट चार्ट की स्पष्ट जानकारी रखने का निदेश दिया गया।

4. चौकीदारों से उनके क्षेत्र अंतर्गत शराब की बिक्री तथा शस्त्र लाईसेंसधारियों की संख्या समीक्षा करने के क्रम में पुराना भोजपुर के विजय पासवान, चौकीदार द्वारा यह अवगत नहीं कराया जा सका की उनके क्षेत्र अंतर्गत कितने शस्त्रधारक उपलब्ध है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। आसूचना संग्रहण चौकीदार का मूल कर्त्तव्य है? स्पष्ट है कि ये अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। इस संदर्भ में सामान्य शाखा प्रभारी को निदेशित किया जाता है कि उक्त चौकीदार से स्पष्टीकरण पूछें कि क्यों नहीं को निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

5. कई क्षेत्रों से शराब मिलने की शिकायत प्राप्त होती है। सभी चौकीदारों को निदेशित किया गया कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत आसूचना संग्रह करेंगे तथा शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर थानाध्यक्ष अथवा वरीय पदाधिकारी को अवगत करायेंगे ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। निदेशित किया गया कि यदि किसी क्षेत्र में शराब के बिक्री का मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित चौकीदार के विरूद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

6. पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदारों को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर शराब, अवैध हथियार आदि के संबंध में सूचना एकत्र कर थानाध्यक्ष को अवगत करायें। थानाध्यक्षो को चौकीदारों के साथ नियमित बैठक करने तथा उनसे फीडबैक प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

7. डुमरॉव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकेशन के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सेक्टर पदाधिकारी को दिया गया ताकि उसके अनुसार PCCP दल का गठन किया जा सके। निदेशित किया गया कि लोकेशन के अंतर्गत चिन्हित मतदान केन्द्रों पर किस प्रकार के वाहन सुगमतापूर्वक पहुँच सकते हैं, PCCP का वाहन किस स्थान से टर्न लेकर अन्य मतदान केन्द्र के लिए रवाना होगा तथा PCCP किस स्थान पर स्टैटिक रहेंगे इस संबंध में भी प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

8. सभी सेक्टर पदाधिकारियों को PCCP रूट का सत्यापन करने का निदेश दिया गया।

9. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दो वैसे मतदान केन्द्र जो अलग–अलग सेक्टर पदाधिकारियों के अधीन आते हैं, परन्तु उन्हें एक ही PCCP के साथ टैग है। निदेशित किया गया कि ऐसे स्थिति में दोनों सेक्टर पदाधिकारी PCCP रूट का सत्यापन सुनिश्चित कर लेंगे।

10. अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरॉव को निदेशित किया गया कि डुमरॉव निवार्चन विधान सभा क्षेत्र में सभी सेक्टर पदाधिकारी के साथ बैठक कर PCCP रूट का सत्यापन सुनिश्चित करायेंगे।

11. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई मतदान केन्द्रों पर AMF के अंतर्गत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि AMF के संदर्भ में पुनः सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर मतदान केन्द्र पर AMF के अंतर्गत सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

12. सभी थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि जिन शस्त्र लाईसेन्सधारियों के द्वारा अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया है उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

13. सभी थानाध्यक्ष को निदेशित किया गया कि जिनके विरूद्ध **CCA** पारित हो गया है उन्हें प्रतिदिन थाना में हाजिरी लगाने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे तथा हाजिरी बनाने हेतु थाना में एक कर्मी पंजी के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे।

14. बंध पत्र भरवाने के दौरान मूल कागजात प्राप्त कर प्राप्ति रसीद देने तथा कम से कम **50** हजार रू0 से अधिक का बंध पत्र भरवाने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी को दिया गया।

15. बक्सर जिला से सटे दूसरे राज्य के सीमावर्ती जिला तथा इस राज्य के अन्य जिले जो बक्सर से सटे हुये हैं उस थाना क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों को विशेष सतर्कता बरतने का निदेश दिया गया।

16. एस0 एस0 टी0 टीम की प्रतिनियुक्ति जिस चेकपोस्ट पर की गयी है वे वहाँ उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, इसे अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे।

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
बक्सर ।

ज्ञापांक 10-1363/गो0, दिनांक 22-4-19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा सभी पुलिस पदाधिकारी/सभी सेक्टर पदाधिकारी / सभी स्टैटिक सर्विलांस टीम/सभी फ्लाईंग स्कावयड टीम, डुमराँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमराँव/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निर्वाचन पदाधिकारी, बक्सर/सभी कोषागों के नोडल पदाधिकारी/सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

22-04-19

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
बक्सर ।